

PROFORMA OF COMPLETION CERTIFICATE

परिशिष्ट-6

(प्रपत्र-‘ब’) पृष्ठ 3/4

भाग-ब

पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता का प्रमाण पत्र (ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (आवेदक का नाम) के भूखण्ड संख्या
खसरा संख्या पर स्थित भवन संख्या का
निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया गया। उपरोक्त दी गई समस्त
सूचनाएं सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आख्या निम्नवत् हैं :-
निर्मित भवन, लागू उपविधियों एवं स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है।

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत शमन मानचित्र से जो विचलन है वह क्रमांक -7 पर
अंकित कर दिया गया है।

भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित/पुनर्निर्मित/परिवर्तित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है। इसकी
गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर के आधार पर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त
एवं सुरक्षित है।

अतः पूर्णता-प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर: पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता
नाम/पता
काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर का
पंजीकरण/लाइसेन्स संख्या
लाइसेन्स वैधता की अवधि

दिनांक

भाग-स

रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र (ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

निर्मित भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (रूफ टाफ रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) का प्राविधान विकास
प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप किया गया है।

हस्ताक्षर :

पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति

नाम/पता

लाइसेन्स संख्या

दिनांक



→ Completion Certificate will be issued by GDA at the
time of Completion of building and it can be changed
by GDA, as per their Rules and Govt. of U.P. Govt.

PROFORMA OF COMPLETION CERTIFICATE

परिशिष्ट--8

(प्रपत्र-'ब') पृष्ठ 4/4

भाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :
(आवेदन पत्र के भाग 'अ', 'ब' एवं 'स' की फोटोकापी पर जारी किया जाए)

----- वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या-----पर निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री------(पदनाम) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा दिनांक-----को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15 क (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय की मुहर

दिनांक

136

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथा संशोधित 2016)



→ Completion Certificate issued by GDA, Ghaziabad at the time of Completion of Building and it can be checked by GDA and per the original GDA of the building.